न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—255/2018/223 (2018/00255)

1. शिवजी पुत्र काना,
2. तेजा पुत्र गणेश,
3. काना पुत्र गणेश,
4. रामदेव पुत्र गणेश,

समस्त जाति गुर्जर, नि0 ग्राम रामनगर पगारा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 11.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 29/2012 (76/2014).

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः—20.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पगारा (रामनगर) तहसील पीसांगन अवस्थित साबिक खसरा संख्या 1675 के आधारभूत खसरा संख्या 500 की कृषि भूमि वादीगण की आराजियात बाबत् राज्य सरकार द्वारा वादीगण का कब्जा काश्त स्वीकार करते हुए वादीगण के विरूद्ध लगातार धारा 91 राज0भू0रा0 अधि0 के तहत कार्यवाहियां की गयी है जिसके कुल 23 नोटिस विगत 22 वर्षो के वाद के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये गये । इस प्रकार उक्त आराजियात पर संवत् 2046 तथा सन् 1989 से आज तक लगातार कब्जा काश्त चला आना स्वंय सिद्ध है । वादीगण के विरूद्ध धारा 91 रा0भू0रा0अधि0 के तहत कार्यवाही कर कदीमती कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी स्थिति में यदि धारा 80 जा0दी0 का नोटिस प्रदान किया गया तो 60 योम की अवधि में तहसीलदार वादीगण को बेदखल कर देगें । अतः 80 (2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर अधिकार अभिलेख में इंद्राज किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के विधिक अधिकारों के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे एवं न ही उक्त

आराजी किसी अन्य को आवंटन या नियमन की जावे । विद्वान अधी0न्याया0 वाद दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरांत निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2018 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि दिनांक 11.5.2018 को पत्रावली कैम्प पगारा में प्रस्तुत की गई लेकिन आर्डर शीट के अनुसार इस बाबत् कैम्प कोर्ट पगारा में उपस्थित होने हेतु वादीगण/अपीलांटस को कोई सूचना/नोटिस प्रदान किया जाना सिद्ध नहीं होता है जिससे अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर काबिल निरस्त योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आरायिजात पर वर्तमान में अपीलांटस की दूसरी पीढ़ी काश्त कर रही है एवं अपीलांटस का विगत दो पीढ़ियों से लगभग 50 वर्षो से लगातार निर्बाध कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी पुष्टि में अपीलांटस द्वारा विगत 22 वर्षो में राज्य सरकार द्वारा अपीलांटस को काबिज काश्त मानते हुए धारा 91 राज0भू0रा0अधि0 के तहत कार्यवाही कर प्रदत्त कुल 23 नोटिस वादपत्र के साथ संलग्न किये गये एवं अपीलांटस द्वारा प्रदत्त लगान/शास्ती बाबत् 8 रसीदें प्रस्तुत की गई जिससे विवादित आराजी पर अपीलांटस का निरन्तर कब्जा काश्त साबित था । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । आगे कथन किया कि अपीलांटस की गैर मौजूदगी में प्रतिवादी का जवाब रिकार्ड पर लिया गया तथा वाद में तनकियात भी कायम नहीं की गई जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेशात्मक प्रावधानों के विपरीत होकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्तनीय है । बेदखली वाद की मियाद मात्र 12 वर्ष निर्धारित है लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपीलांटस को प्रदत्त धारा 91 के नोटिस के अनुसार वाद प्रस्तुति के विगत 22 वर्षो में अपीलांटस के विरूद्ध 23 बार धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है जो रिकार्ड पर मौजूद थे एवं राज्य सरकार की स्वंय स्वीकारोक्ति के अनुसार बेदखली वाद की मियाद गुजरने के कारण अपीलांटस को कतई बेदखल नहीं किया जा सकता है । अपीलांटस को बेदखल करने की मियाद काश्तकारी अधि0 के अनुसार समाप्त हो जाने के कारण अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस को खातेदार घोषित करने एवं बहक अपीलांटस विरूद्ध रेस्पो0 स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलांटस का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 11.5.2018 को कैम्प कोर्ट पगारा में प्रकरण की सुनवाई हेतु प्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई बाबत् कोई सूचना अथवा नोटिस प्रदान नहीं किया जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी थी । दिनांक 8.8.2018 को पटवारी हल्का द्वारा वाद खारिज होने बाबत् कहा तथा विवादित भूमि पर भविष्य में काश्त नहीं करने हेतु कहा गया

तब अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकरी कर निर्णय की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 10.8.2018 को निर्णय की प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । सिवायचक भूमियों पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक होकर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज है । वादीगण ने पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष चाहा है । नियमों में पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है । अपीलांट कब्जे काश्त के आधार पर सक्षम अधिकारी के समक्ष नियमन बाबत् कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है किन्तु वर्तमान में विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिचायचक गैर मुम0 पहाड़ दर्ज है जिस पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है ।

9. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर